

कृषि विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका (इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक के विशेष सन्दर्भ में)

अतुल कुमार द्विवेदी

शोध छात्र (वाणिज्य) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वि. वि. चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

डॉ० बृजेश कुमार उपाध्याय

एस०० प्रोफेसर व्यवसाय प्रबन्धन विभागमहात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वि. वि. चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

सारांश भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व प्राचीनकाल से रहा है। आज भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि देश के लोगों का मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं है वरन् भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के विभिन्न उद्योग-धन्धे, विदेशी मुद्रा का अर्जन, विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाएँ आदि कृषि पर ही आधारित हैं। देश का राजनैतिक स्थायित्व कृषि के उत्पादन पर ही निर्भर करता है। भारत में कृषि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने का स्रोत, राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन एवं अनेक उद्योगों का मूल आधार है।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 59 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। कृषि कार्य में लगे कृषक, कृषि श्रमिक एवं भूमिहीन कृषि श्रमिकों को अपने उत्पादन कार्य के लिए पूँजी की आवश्यकता हमेशा से रही है। अतः यह अनुभव किया गया कि कृषकों की सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त मात्रा में साख की अनुपलब्धता है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग आयोग द्वारा 1972 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए गठित नरसिंहम् समिति ने भी कुछ चुने हुये क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों को खोले जाने को उचित बताया। नरसिंहम् समिति ने यह स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सहकारी संस्था व व्यापारिक बैंक दोनों ही के गुण विद्यमान होंगें। सितम्बर 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हेतु अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 2 अक्टूबर, 1975 को 4 राज्यों में 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई।

ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना तथा इस क्षेत्र के पिछड़े वर्गों अर्थात् छोटे एवं सीमान्त कृषक, ग्रामीण कारीगर, खेतिहार मजदूर आदि को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं की कमी को दूर करना, ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करना, कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए किसानों की सेवा समितिया बनाना, ग्रामीणों की जमा राशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को जुटाना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग में लाना है।

शब्दकोश भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि सम्बन्धी

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व प्राचीनकाल से ही रहा है। आज भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि देश के लोगों का मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं है वरन् भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के विभिन्न उद्योग धन्धे, विदेशी मुद्रा का अर्जन व विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाएँ भी कृषि पर ही आधारित हैं। देश का राजनैतिक स्थायित्व कृषि के उत्पादन पर ही निर्भर करता है। भारत में कृषि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने कर स्रोत, राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन व अनेक उद्योगों का मूल आधार है।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 59 प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। कृषि कार्य में लगे कृषक, कृषि श्रमिक, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को अपने उत्पादन कार्यों के लिए पूँजी की आवश्यकता हमेशा

से रही है। अतः यह अनुभव किया गया कि कृषकों की सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त मात्रा में साख की अनुपलब्धता है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग आयोग द्वारा 1972 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए गठित नरसिंहम् समिति ने भी कुछ चुने हुये क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों के खोले जाने को उचित बताया। नरसिंहम् समिति ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सहकारी संस्था व व्यापारिक बैंक दोनों के ही गुण विद्यमान होंगें।

समिति के अनुसार "एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जो ग्रामीण समस्याओं की पहचान एवं स्थानीय सोच में तालमेल स्थापित कर सके एवं जो गुण सहकारी संस्थाओं में हैं और जिसमें व्यापारिक बैंकों के समान व्यवसाय संगठन का गुण हो, जमाओं को गतिशील

बनाने की योग्यता हो, केन्द्रीय मुद्रा बाजार में पहुँच हो एवं आधुनिक दृष्टिकोण हो।"

"सितम्बर 1975 में ग्रामीण बैंक को स्थापना हेतु अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 2 अक्टूबर, 1975 को 4 राज्यों में 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इस तरह उत्तर प्रदेश में दो, मुरादाबाद तथा गोरखपुर में क्रमशः सिण्डीकेट बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजस्थान के जयपुर में एक यूनाइटेड कार्मर्शियल बैंक द्वारा, हरियाणा के भिवानी स्थान पर एक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा और पश्चिम बंगाल के मालदा नामक स्थान पर एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण बैंक खोलने में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है। 10,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की कुल शाखाएँ सन् 1980 में जहाँ 11,652 थीं वे 2010 के अन्त तक बढ़कर 15,100 हो गयीं व जून 2012 के अंत तक देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 16572 शाखाएँ कार्यरत थीं। इन बैंकों की 12387 (74.7%) शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सबसे अधिक शाखाएँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। शाखाओं की दृष्टि से कर्नाटक दूसरे स्थान पर तथा बिहार तीसरे स्थान पर है।

अध्ययन क्षेत्र-

वर्तमान अध्ययन में कृषि विकास से सम्बन्धित परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिये उत्तर प्रदेश में कार्यरत इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक को चुना गया है, जो उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में कार्य कर रहा है। अध्ययन के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 व 2015-16 का समय निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 के 21वें अनुच्छेद "ए") के उप अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.03.2010 को जारी किया गया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कायरत एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्रमशः लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर एवं त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उरई को समामेलित कर एक नये ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम "इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक" है। इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल है एवं बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 की धारा 5 (ब) के अन्तर्गत सभी प्रकार के बैंकिंग लेन-देन करन हेतु अधिकृत है। इस बैंक का प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में स्थित है। समामेलन के परिणामस्वरूप गठित इलाहाबाद यू० पी०

ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में क्रमशः सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, मिर्जापुर व सोनभद्र हैं। इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बैंक का एक मात्र प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। यह आँकड़े इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन से संकलित किये गये हैं।

परीक्षण की जाने वाली परिकल्पनायें-

1. कृषि विकास के लिए इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को पर्याप्त ऋण प्रदान किया है।
2. कृषि विकास के लिए इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा पर्याप्त योजनायें संचालित की गयी हैं।

ग्रामीण बैंक के कार्य व उद्देश्य-

ग्रामीण बैंक के कार्य व उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा इस क्षेत्र के पिछड़े वर्गों अर्थात् छोटे एवं सीमान्त कृषक, ग्रामीण कारीगर, खेतिहर मजदूर आदि को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
2. ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करना।
3. कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये किसानों की सेवा समितियाँ बनाना।
4. ग्रामीणों की जमाराशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को जुटाना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कार्यों के लिये उपयोग में लाना।

इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक की प्रगति व उपलब्धियाँ-

1. कुल व्यवसाय-

बैंक का कुल व्यवसाय सन् 2011-12 में रु० 9,292.99 करोड़ (रु० 5,773.71 करोड़ जमा तथा रु० 3,519.28 करोड़ ऋण) था। वर्ष 2012-13 में गत वर्ष से 16.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु० 10,812.41 करोड़ (रु० 6,558.70 करोड़ जमा तथा रु० 4,253.71 करोड़ ऋण) हो गया। वर्ष 2013-14 में गत वर्ष से 6.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु० 11,535.99 करोड़ (रु० 6,437.08 करोड़ तथा रु० 5,098.91 करोड़ ऋण) हो गया। वर्ष 2014-15 में गत वर्ष से 14.23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु० 13,177.01 करोड़ (रु० 7,345.59 करोड़ जमा तथा रु० 5,831.42 करोड़ ऋण) हो गया तथा वर्ष 2015-16 में गत वर्ष से 8.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु० 14,346.31 करोड़ (रु०

8,177.89 करोड़ जमा तथा ₹0 6,168.42 करोड़) के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है। अतः बैंक के व्यवसाय में

प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की जा रही है जिसमें जमा व ऋण में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

सारणी-2
(धनराशि करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यवसाय(₹0)	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011–12	9,292.99	—
2012–13	10,812.41	16.35
2013–14	11,535.99	6.69
2014–15	13,177.01	14.23
2015–16	14,346.31	8.87

स्रोत—वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक

2. शाखा विस्तार—

इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण जनता के घर घर तक बैंकिंग सेवायें उपलब्ध करायी हैं। इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक ने दूर-दराज और अलग-थलग पड़े गाँवों में अपनी शाखाये खोली हैं, जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं। वर्ष 2012–13 में बैंक ने कुल 23 नई शाखायें खोलीं जिससे बैंक की कुल शाखाये 2012–13 के अन्त में 555 हो गयीं, जिनमें से 460 ग्रामीण शाखायें हैं। वर्ष 2013–14 में बैंक ने और 95 नई शाखायें खोलीं जिनमें से 91 ग्रामीण शाखायें थीं। जिससे 31 मार्च 2016 के अन्त तक बैंक की कुल 650 शाखायें थीं जिनमें 551 ग्रामीण शाखायें थीं।

3. रुपे कार्ड जारी करना—

बैंक द्वारा सितम्बर 2013 से अपने ग्राहकों को रुपे एटीएम कार्ड जारी करना आरम्भ किया गया था जिसके अन्तर्गत बैंक द्वारा दो प्रकार के रुपे कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

• रुपे डेबिट कार्ड Rupay Debit Card

• रुपे केसीसी कार्ड Rupay KCC Card

बैंक द्वारा वर्ष 2015–16 के अन्त तक कुल 9,70,319 रुपे कार्ड जारी किये गए हैं। जिनमें 8,85,156 रुपे केसीसी कार्ड जारी किये गये हैं। बैंक द्वारा अब तक कुल 153 एटीएम संस्थापित किये गये हैं जो कि प्रदेश के ग्रामीण बैंकों में प्रथम देश के ग्रामीण बैंकों में तृतीय स्थान है।

4. कृषि क्षेत्र को ऋण—

इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय कार्य किया है।

सारणी-3
(धनराशि करोड़ में)

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रदत्त ऋण (₹0)	2,872.71	3,470.09	3,550.51	4,930.47

स्रोत—वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक

उपर्युक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट है कि इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹0 2,842.71 करोड़, वर्ष 2013–14 में ₹0 3,470.09 करोड़, वर्ष 2014–15 में ₹0 3,550.51 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में ₹0 4,930.47 करोड़ का कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराया गया। अतः बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गयी है।

5. लघु कृषक/सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को ऋण—

बैंक द्वारा कुल वितरित किये गये ऋण में से निम्न ऋण लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वितरित कियागया है—

सारणी-4
 (धनराशि करोड़ में)

वर्ष	कुल वितरित ऋण	कुल वितरित ऋण में से लघु कृषक, सीमान्त कृषक, कृषि मजदूरों को वितरित ऋण	कुल वितरित ऋण में से लघु कृषक, सीमान्त कृषक, कृषि मजदूरों को वितरित ऋण का प्रतिशत
2012–13	4,253.71	2,432.25	57.18
2013–14	5,098.91	2,883.42	56.55
2014–15	5,831.42	2,863.24	49.10
2015–16	6,168.42	3,054.48	49.52

स्त्रोत-वार्षिक प्रतिवेदन इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक

- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रु० 4,253.71 करोड़ का ऋण वितरित किया गया जिसमें से रु० 2,432.25 करोड़ का ऋण लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वितरित किया गया, जो कुल वितरित किए गये ऋण का 57.18 प्रति" त है।
- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में गतवर्ष से रु० 845.20 करोड़ की वृद्धि के साथ रु० 5,098.91 करोड़ का ऋण वितरित किया, जिसमें से रु० 2,883.42 करोड़ का ऋण लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वितरित किया गया जो कुल वितरित किए गए ऋण का 56.55 प्रतिशत है।
- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में गतवर्ष से रु० 732.51 करोड़ की वृद्धि के साथ रु० 5,831.42 करोड़ का ऋण वितरित किया जिसमें से रु० 2,863.24 करोड़ का ऋण लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वितरित किया गया, जो कुल वितरित किए गए ऋण का 49.10 प्रतिशत है।
- बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में गतवर्ष से रु० 337.00 करोड़ की वृद्धि के साथ रु० 6,168.42 करोड़ का ऋण वितरित किया जिसमें से रु० 3,054.48 करोड़ का ऋण लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वितरित किया गया, जो कुल वितरित किए गए ऋण का 49.52 प्रतिशत है।

अतः बैंक द्वारा कुल वितरित ऋण में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की जा रही है लेकिन कुल वितरित ऋण में से लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वितरित ऋण के प्रतिशत में वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में प्रतिवर्ष कमी पायी जा रही है व गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में प्रतिशत के आधार पर वृद्धि दर्ज की जा रही है।

कृषि विकास से सम्बन्धित संचालित महत्वपूर्ण योजनायें

इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा कई योजनायें संचालित हैं जैसे—किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड, दस्तकार क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, सहेली रसोई गैस योजना, कृषि भूमि क्रय हेतु ऋण योजना, साहूकार ऋण मुक्ति योजना, ग्राम स्वच्छता ऋण योजना आदि योजनायें संचालित हैं। लेकिन कृषि विकास से सम्बन्धित संचालित महत्वपूर्ण योजनायें निम्नलिखित हैं—

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना—

"हर किसान का यही एक सपना, हरा भरा सा खेत हो अपना"

किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998–99 में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार किसानों को सस्ता फसल कर्ज उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7 फीसदी की सामान्य ब्याज दर पर मिलता है। इसमें सरकार की ओर से ब्याज दरों पर 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। अगर किसान समय से ऋण लौटा देता है उसे ऋण पर केवल 3 फीसदी ही ब्याज देना पड़ता है।

2. संयुक्त देयता समूह (J.L.G.)-

"संयुक्त देयता समूह अपनायें, भूमिहीन/बटाईदार कृषक भी बैंक ऋण पायें"

यह योजना लघु सीमान्त का" कार, मौखिक पट्टेदार व बटाईदार कृषकों आदि के लिये संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत एक ही गाँव/क्षेत्र/पड़ोस के ही 4 से 10 व्यक्ति जो एक दूसरे से भली-भॱति परिचित हों, आपसी गारण्टी के समक्ष अकेले या समूह व्यवस्था के माध्यम से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस योजना में संयुक्त देयता समूह का सदस्य परिवार से केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है।

- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 553 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) गठित किये गये जिनमें से 519 को कुल ₹ 0 669.62 लाख का ऋण वितरित किया गया।
- वर्ष 2013–14 में बैंक ने 295 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) गठित किये जिनमें से 290 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) को ₹ 0 367.55 लाख का ऋण वितरित किया गया।
- वर्ष 2014–15 में बैंक ने 248 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) गठित किये जिनमें से 246 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) को कुल ₹ 0 234.53 लाख का ऋण वितरित किया गया।
- वर्ष 2015–16 में बैंक ने 80 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) बनाकर कुल ₹ 0 96.45 लाख का ऋण वितरित किया।
- दिनांक 31.03.2016 तक बैंक ने कुल 3,022 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) गठित किये जिसमें से 2978 संयुक्त देयता समूह (J.L.G.) के सदस्यों को कुल ₹ 0 2,739.65 लाख का ऋण वितरित किया गया।

3. साहूकार ऋण मुक्ति योजना—

“बैंक से नाता जोड़ो, साहूकारों से नाता तोड़ो”
यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को महाजनों/गैर संस्थाओं के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिये इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण पाने के लिए साहूकार से लिए गये ऋण का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। जिसके आधार पर ही बैंक द्वारा ऋण का भुगतान साहूकार को सीधे कर दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज महाजनी ऋण से बहुत कम है।

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराकर सामाजिक बुराई के उन्मूलन में बैंक सक्रिय रूप से संलग्न है। बैंक द्वारा 40,343 ग्रामीणों को दिनांक 31.03.2013 तक ₹ 0 60.45 करोड़ का ऋण वितरित कर महाजनों के ऋण से मुक्त कराया गया।

4. कृषि भूमि क्रय हेतु ऋण योजना—

इस योजना के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन हेतु भूमि खरीदने के लिये बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण उन्हीं लघु एवं सीमान्त किसानों को प्रदान किया जाता है जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ तक असिंचित

भूमि हो। ऋण की राशि का निर्धारण क्रय की जाने वाली भूमि, रजिस्ट्रार ऑफिस के पिछले 5 वर्षों के मूल्यांकन के अनुसार तय की जाती है तथा क्रय की गयी भूमि बैंक के पक्ष में बन्धक रखी रहती है।

नोटबंदी का बैंक पर प्रभाव—

नोटबंदी के कारण इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक के पास नकदी अधिक मात्रा में जमा हो गयी है जिससे बैंक अधिक ऋण प्रदान करके अधिक मात्रा में ब्याज कमा सकते हैं।

परिकल्पना का सत्यापन—

1. तालिका संख्या 4 प्रदर्शित करती है कि इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में वितरित किया गया ऋण कुल वितरित किए गये ऋण का 57.18 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2013–14 में 56.55 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2014–15 में 49.10 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में 49.52 प्रतिशत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा कुल वितरित किए गये ऋण में से लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को प्रतिशत के आधार पर प्रतिवर्ष कमी दर्ज की जा रही है व वित्तीय वर्ष 2015–16 में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

2. इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, संयुक्त देयता समूह, साहूकार ऋण मुक्ति योजना व कृषि भूमि क्रय हेतु ऋण योजना आदि योजनाएँ संचालित की गई हैं।

अतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा कृषि विकास के लिए पर्याप्त योजनाएँ संचालित की गई हैं, अतः परिकल्पना सत्य साबित होती है।

निष्कर्ष—

उपर्युक्त शोध अध्ययन से निम्नवत् निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं—

1. इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में कार्यरत है। जिसका प्रधान कार्यालय जनपद बाँदा में स्थित है।
2. इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक का कुल व्यवसाय (जमा एवं ऋण) वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 0 10,812.41 करोड़, वर्ष 2013–14 में ₹ 0 11,535.99 करोड़, वर्ष 2014–15 में ₹ 0 13,177.01 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में ₹ 0 14,346.31 करोड़ पहुँच गया। अतः बैंक के व्यवसाय में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
3. वर्तमान में इलाहाबाद ₹ 0 पी0 ग्रामीण बैंक की कुल 650 शाखायें हैं जिनमें से 551 ग्रामीण शाखायें हैं।

4. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष 2015–16 के अन्त तक कुल 9,70,319 रुपे कार्ड जारी किए गए जिनमें 8,85,156 रुपे केसीसी कार्ड जारी किए गए।
5. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 153 एटीएम स्थापित किये जा चुके हैं जो कि प्रदेश के ग्रामीण बैंकों में प्रथम, देश के ग्रामीण बैंकों में तृतीय स्थान हैं।
6. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु 4253.71 करोड़, 2013–14 में रु 5098.91 करोड़, 2014–15 में रु 5831.42 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु 6168.42 करोड़ का कुल ऋण वितरित किया गया।
7. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु 2872.71 करोड़, वर्ष 2013–14 में रु 0 3470.09 करोड़, 2014–15 में रु0 3550.51 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 4930.47 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।
8. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में रु0 2432.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में रु0 2883.42 करोड़, वर्ष 2014–15 में रु0 2863.24 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में रु0 3054.48 करोड़ का ऋण प्रदान किया।
9. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि विकास से सम्बन्धित किसान क्रेडिट कार्ड योजना, संयुक्त देयता समूह, साहूकार ऋण मुक्त योजना तथा कृषि भूमि क्रय करने हेतु ऋण योजना आदि योजनायें संचालित की गयी हैं।
10. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा संयुक्त देयता समूह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में रु0 669.62 लाख, वर्ष 2013–14 में रु0 367.55 लाख, वर्ष 2014–15 में रु0 234.53 लाख तथा वर्ष 2015–16 में रु0 96.45 लाख का ऋण वितरित किया गया।
11. इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीणों को साहूकार ऋण मुक्त योजना के अन्तर्गत 31.03.2016 तक रु0 60.45 करोड़ का ऋण वितरित कर महाजनों के ऋण से मुक्त कराया।

समस्यायें—

शोधगम्य आधार पर पाया गया कि इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित योजनाओं से लघु कृषक, सीमान्त कृषक, व कृषि मजदूरों को उत्पादन कार्यों अर्थात् कृषि के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि अधिकांश कृषकों को ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी दस्तावेजों को पूर्ण कराने में बहुत अधिक समय लग

जाता है और समय पर उन्हें कृषि ऋण प्राप्त नहीं हो पाता जिससे उत्पादन कार्य प्रभावित होता है और कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों को पूर्ण कराने में अधिक समय लग जाता है। तब जाकर उन्हें ऋण प्राप्त होता है।

सुझाव—

इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा लघु कृषक, सीमान्त कृषक व कृषि मजदूरों को ऋण प्रदान करने सम्बन्धी दस्तावेजी प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए व समय से कृषकों को ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

- वार्षिक प्रतिवेदन : इलाहाबाद यू० पी० ग्रामीण बैंक
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली : डॉ० वी० सी० सिन्हा, साहित्य भवन
- भारतीय अर्थव्यवस्था : डॉ० चतुर्भुज मामोरिया साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
- भारतीय अर्थव्यवस्था : डॉ० बद्री विशाल त्रिपाठी, किताब महल आगरा
- योजना, नई दिल्ली
- कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली
- मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियों : डॉ० जे०पी० मिश्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा